

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/503/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक २२/०७/2013

सेवा में,

श्री अरुण कुमार,
पुत्र ओम प्रकाश
गांव व डा. बरोटा
तहसील-गोहाना
सोनीपत हरियाण-131301

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 10.06.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (ए पी आई ओ, दिल्ली पुलिस से अंतरित होकर इस अनुभाग में 18.07.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. आपके आर टी आई आवेदन के बिन्दु सं. 6 के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है/नहीं रखी जाती है। तथापि, सूचना का संकलन आर टी आई अधिनियम के दायरे से बाहर है। इसलिए सूचना शून्य है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued
20/5
19/8

डी.ए. २३५४
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष: 23092856